पत्रांक –

प्रेषकः–

प्राचार्य,

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर ।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,

पूर्वी, मुजफ्फरपुर ।

मुज0 दिनांक –

विषय–इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में कुछ अनाधिकृत एवं भूमाफियों द्वारा किए गए स्थायी अतिक्रमण को हटाने के संबंध में ।

प्रसंगः इस कार्यालय के पत्रांक–2896/19 दिनांक–23.12.19, 5/20 दिनांक – 04.01.20 एवं 51/20 दिनांक – 10.01.20.

प्रसंगः आपके पत्रांक–2992/सी0 दिनांक–18.12.19 एवं 101/गो0 दिनांक–13.01.20

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयक सूचित करना है कि आपके ज्ञापांक–2992 दिनांक–18.12.19 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित किया गया था कि दिनांक – 20.12.19 को इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर से उक्त/सम्पूर्ण अक्रिमण को मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी । जिसके लिए एक जे0सी0बी0, एक ट्रैक्टर एवं दस मजदूर की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया था तथा अधोहस्ताक्षरी के स्तर से उक्त व्यवस्था कर ली गई थी । परन्तु वर्तमान तक उक्त अतिक्रमण को हटाने/खाली कराने हेतु कार्रवाई नही हुई है ।

विदित हो कि इस कार्यालय के पत्र संख्या – 2896/19 दिनांक–23.12.19, 5/20 दिनांक – 04.01.20 एवं 51/20 दिनांक – 10.01.20 द्वारा आपसे एवं जिला प्रशासन से उक्त स्थायी अतिक्रमण को हटाने/मुक्त कराने हेतु बार–बार अनुरोध किया जाता रहा है । साथ ही यह भी सूचित करना है कि उक्त वाद में अधेहस्ताक्षरी के स्तर से नामित अधिवक्ता प्रतिनिधि इस महाविद्यालय का पक्ष रखने हेतु आपके न्यायालय में दिनांक – 18.12.19 को सदेह ससमय उपस्थित हुए तथा वकालतनामा दायर किए आवश्यक दस्तावेज के लिए समय की मॉग की गई । पुनः दिनांक – 04.01.20 को नामित अधिवक्ता प्रतिनिधि आपके न्यायालय में उपस्थित हुए । पुनः दिनांक – 13.01.20 को नामित अधिवक्ता प्रतिनिधि आपके न्यायालय में उपस्थित हुए, जिन्हे 21.01.20 को पुनः उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु समय निर्धारित किया गया है । बावजूद इसके, यह कहना कि 'अधोहस्ताक्षरी के स्तर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नही हुए' का क्या ऑचित्य है ?

साथ ही यह भी सूचित करना है कि आपके द्वारा अतिक्रमण हटाने के बावजूद यदि पुनः इस परिसर में अतिक्रमण होता है, तो इसका दोष अधोहस्ताक्षरी पर मढना कदापि उचित नही है । अधोहस्ताक्षरी के द्वारा नियमित रूप से इस परिसर का मुआयना किया जाता है तथा अतिक्रमण होने पर ससमय इसकी सूचना स्थानीय थाना, जिला प्रशासन, आपको एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों को दी जाती है, ताकि परिसर को अतिक्रमण मुक्त किया जा सके । महाविद्यालय स्तर से जो सुरक्षा गार्ड रखा गया है, वो महाविद्यालय के लिए है तथा कहीं पर अनाधिकृत अतिक्रमण होने अथवा अन्य अनाधिकृत गतिविधियॉ होने पर, उसकी जानकारी अधोहस्ताक्षरी को ससमय देना ही उनका कर्त्तव्य है । जहॉ तक अतिक्रमण मुक्त कराने का सवाल है, तो इसके लिए जिला प्रशासन, स्थानीय थाना एवं आप सक्षम पदाधिकारी हैं । अतिक्रमण हटाने/मुक्त कराने में कॉलेज प्रशासन से आवश्यकतानुसार सक्षम सहयोग हमेशा ही दिया जाता है । चुँकि सभी का कार्य क्षेत्र एवं अधिकार क्षेत्र अलग – अलग होता है ।

आपके पत्रांक–2992/सी0 दिनांक–18.12.19 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित किया गया कि दिनांक – 20.12.19 को इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर से उक्त/सम्पूर्ण अक्रिमण को मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी । परन्तु कंतपय कारणों से उक्त तिथि को अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई आपके स्तर से नही की गई, उसके पश्चात इस संदर्भ में आपके द्वारा किसी प्रकार की सूचना अधोहस्ताक्षरी को नही दी गई, जो समझ से परे है । तथा आपके पत्रांक – 101/गो0

दिनांक – 13.01.20 में इस परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने के स्थान पर दोषारोपण करना बिल्कुल अनुचित है । अधोहस्ताक्षरी को अपने कर्त्तव्य का पूर्णतः आभाष है ।

विदित हो कि जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक – 2086/विधि दिनांक – 16.12.19 द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु पत्र भी आपको निदेशित है ।

अतः आपसे मेरा पुनः अनुरोध है कि आपके पत्रांक–2992/सी0 दिनांक–18.12.19 के आलोक में इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर से उक्त स्थायी अतिक्रमण को हटाने हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई करने का कष्ट किया जाए । आवश्यकतानुसार कॉलेज प्रशासन हर संभव सहयोग को पूर्णतः तैयार है ।

यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन

ह0/–
प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांकः– 91/20 दिनांकः– 18-1-2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
2. जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
3. कॉलेज वेबसाईट ।

18/1/2020

प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर